न्यायालय जिला मजिस्ट्रेट, कोटा

पीठासीन अधिकारी : उज्ज्वल राठौड़ आई0ए0एस0

प्रकरण संख्या – 45/2021 (Bank Case)
GCMS NO. –2021/192

बड़ौदा राजस्थान क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक जिसका शाखा कार्यालय– केशवपुरा, जिला– कोटा (राज.)

– प्रार्थी /सिक्योर क्रेडिटर

बनाम

1. श्री कमल कुमार शर्मा पुत्र श्री रमेश कुमार शर्मा (ऋणी/बंधककर्ता)
   पताः– 01/279, गणेश तालाब, बसंत विहार, तहसील लाडपुरा, जिला– कोटा (राज)
2. श्री योगेश कुमार शर्मा पुत्र श्री रमेश कुमार शर्मा (सह–ऋणी)
3. श्रीमती अवनिका शर्मा पुत्री श्री कमल कुमार शर्मा (सह–ऋणी)
4. श्रीमती सीमा शर्मा पुत्री श्री रमेश कुमार शर्मा (सह–ऋणी)
5. श्रीमती पूजा शर्मा पत्नि श्री अनूप तिवाडी (सह–ऋणी)
   पताः– 01/279, गणेश तालाब, बसंत विहार, तहसील लाडपुरा, जिला– कोटा (राज)
6. श्री प्रमोद कुमार पाराशर पुत्र स्व0 श्री चित्तरमल पाराशर (गारन्टर)
   पताः– सी–10,गायत्री विहार, बोरखेडा, जिला–कोटा (राज.)
7. श्री अनिल गोकटे पुत्र श्री जे.पी. गोकटे
   पताः– 5 डी 17,तलवण्डी, जिला कोटा (राज.) **– अप्रार्थीगण**

प्रार्थना पत्र अर्न्तगत धारा 14 दी सिक्यूरीटीजेशन रिक्सट्रक्शन आफ फाईनेंशियल ऐसिटस एण्ड एनफोर्समेन्ट आफ सिक्यूरिटी इन्टरेस्ट एक्ट 2002

उपस्थित
श्री अमरसिंह नरूका, अभिभाषक प्रार्थी

आदेश

दिनांकः 28/1 .2021

संक्षेप मे प्रकरण के तथ्य इस प्रकार है कि प्रार्थी बैंक बड़ौदा राजस्थान क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक जिसका शाखा कार्यालय– केशवपुरा, जिला– कोटा (राज.) से अप्रार्थीगण ने दिनांक 09.11.2015 को हाउसिंग लोन के बाबत रूपये 1,35,00,000/– (अक्षरेः रूपये एक करोड पेतीस लाख मात्र) का ऋण लिया था । अप्रार्थीगण ने ऋण व उसके मय ब्याज के पुनर्भुगतान हेतु सिक्योरिटी के रूप मे **अचल आवासीय सम्पत्ति श्री कमल कुमार शर्मा पुत्र श्री रमेश कुमार शर्मा की सम्पत्ति जो कि प्लॉट नं. 501, राजीव गांधी नगर, जिला कोटा राजस्थान में स्थित है। जिसका क्षेत्रफल 260.34 वर्ग मीटर है। जोकि नगर विकास न्यास, कोटा द्वारा जारी पट्टा कमांक 579 दिनांक 22.03.2006 से कमल कुमार शर्मा के नाम जारीशुदा है। जिसकी चर्तु सीमाए– पूर्व में– रोड, पश्चिम में– अन्य का मकान, उत्तर में–प्लॉट नं. 500, दक्षिण में– प्लॉट नं. 502 है,** को प्रार्थी बैंक के पक्ष में गिरवीकृत किया गया था। अप्रार्थीगण ने नियमित रूप से प्रार्थी बैंक का उक्त ऋण का भुगतान नहीं कर सका और ऋण के भुगतान में व्यक्तिक्रम व डिफाल्ट होने पर प्रार्थी वित्तीय बैंक द्वारा अप्रार्थीगण के खाते को दिनांक 16.04.2020 को एन.पी.ए. कर दिया गया । अप्रार्थी द्वारा उसके खाते मे 1,38,81,463/– (अक्षरे रूपये एक करोड अडतीस लाख इक्यासी हजार चार सौ तिरेषठ मात्र।) बकाया रकम दिनांक 29.02.2020 तक शेष देय है व आगे की बकाया राशि मय ब्याज व खर्चे पूर्णभुगतान करने तक के लिए अप्रार्थी जिम्मेदार है । प्रार्थी वित्तीय बैंक ने उक्त एक्ट की धारा 13(2) के अन्तर्गत अप्रार्थीगण को दिनांक 18.05.2020

जिला मजिस्ट्रेट कोटा (राज०)

को रजिस्टर्ड डाक से नोटिस भी अप्रार्थीगण को प्रेषित किये गये। नोटिस प्राप्ति के बावजूद ऋण राषि मय ब्याज चुकाने मे चूक की है । ऋणी द्वारा बंधक सम्पत्ति का कब्जा भी प्रार्थी वित्तीय संस्था को नही संभलाया है । प्रार्थी वित्तीय संस्था द्वारा The Securitisation and Reconstruction of Financial Assets and Enforcement of Security Interest Act, 2002 की धारा 14 के तहत उपरोक्त खाते मे देय राशि के पुर्नभुगतान हेतु रहनशुदा सम्पत्ति का कब्जा प्रार्थी बैंक को जरिये पुलिस इमदाद संभलाने के लिये यह प्रार्थना पत्र जरिये अभिभाषक प्रस्तुत किया गया ।

अभिभाषक प्रार्थी को सुना गया । अभिभाषक प्रार्थी ने प्रार्थना पत्र में अंकित तथ्यों को दोहराते हुए प्रकट किया कि अप्रार्थीगणों ने उनके खाते मे देय ऋण राशि मय ब्याज की राशि के भुगतान हेतु उक्त अधिनियम की धारा 13 (2) के अन्तर्गत नोटिस अप्रार्थीगण को दिनांक 18.05.2020 को रजिस्टर्ड डाक से नोटिस भी अप्रार्थीगण को प्रेषित किये गये। नोटिस प्राप्ति के बावजूद ऋण राशि मय ब्याज चुकाने मे चूक की है । अतः उपरोक्त वर्णित सम्पत्ति का कब्जा प्रार्थी वित्तीय बैंक को या उसके द्वारा नियुक्त व्यक्ति को दिलवाने का आदेश फरमाते हुए प्रार्थना पत्र स्वीकार किया जावे ।

हमने बहस पर मनन किया एवं पत्रावली में उपलब्ध दस्तावेजात का अवलोकन किया। प्रार्थी वित्तीय बैंक द्वारा उक्त अधिनियम की धारा 13(2) के अन्तर्गत नोटिस को दिनांक 18.05.2020 को रजिस्टर्ड डाक से नोटिस भी अप्रार्थीगण को प्रेषित किये गये। नोटिस प्राप्ति के बावजूद भी मांग की गई राशि का अप्रार्थीगणों द्वारा भुगतान नहीं किया है। अतः प्रार्थी बैंक द्वारा The Securitisation and Reconstruction of Financial Assets and Enforcement of Security Interest Act, 2002 की धारा 14 के तहत प्रार्थना पत्र स्वीकार किया जाता है ऋणी/ बंधककर्ता **अचल आवासीय सम्पत्ति श्री कमल कुमार शर्मा पुत्र श्री रमेश कुमार शर्मा की सम्पत्ति जो कि प्लॉट नं. 501, राजीव गांधी नगर, जिला कोटा राजस्थान में स्थित है। जिसका क्षेत्रफल 260.34 वर्ग मीटर है। जोकि नगर विकास न्यास, कोटा द्वारा जारी पट्टा कमांक 579 दिनांक 22.03.2006 से कमल कुमार शर्मा के नाम जारीशुदा है। जिसकी चर्तु सीमाए– पूर्व में– रोड, पश्चिम में– अन्य का मकान, उत्तर में–प्लॉट नं. 500, दक्षिण में– प्लॉट नं. 502 है,** का भौतिक कब्जा प्रार्थी वित्तीय बैंक द्वारा जरिये संबंधित पुलिस थाना इमदाद प्राप्त किये जाने के आदेश दिये जाते है । उक्त सम्पत्ति का कब्जा दिलाने हेतु पुलिस अधिकारियों/कर्मचारियों के वेतन भत्ता व यात्रा व्यय आदि का भुगतान नियमों मे देय है तो संबंधित वित्तीय बैंक द्वारा वहन किया जायेगा । आदेश की प्रति पुलिस अधीक्षक (शहर) कोटा को हस्ब कायदा जारी हो । सम्पत्ति के स्वामित्व अथवा कब्जे को लेकर किसी भी तरह का विवाद होने की स्थिति मे यह आदेश क्रियान्वित ना कर विवाद के संक्षिप्त विवरण सहित इस न्यायालय को लौटाया जावे ।

आदेश आज दिनांक 28/1 .2021 को सुनाया गया ।

(उज्ज्वल राठौड़)
जिला मजिस्ट्रेट
कोटा

जिला मजिस्ट्रेट
कोटा (राज०)